3

जीवन बीमा सिद्धान्त तथा व्यवहार

विषय वस्तु
भाग 1: बीमा सिद्धान्त
भाग 2: बीमा व्यवहार

अध्याय की विषय वस्तु	पाठ्यक्रम अध्ययन के परिणाम
अध्ययन उद्देश्य	
परिचय	
मुख्य बिन्दु	
अ. एक वैध बीमा संविदा के आवश्यक तत्व	3.1, 3.2
ब. बीमा योग्य हित	3.3
स. परम सद्भाव	3.4
द. सारभूत तथ्य	3.5,3.6
य. क्षतिपूर्ति	3.7
मुख्य बिन्दु	
प्रश्न उतर	
स्व–परीक्षण प्रश्न	

अध्ययन उद्देश्य

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न हेतु समर्थ होंगे

- एक वैध संविदा के आवश्यक लक्षणों की व्याख्या करने में;
- बीमा योग्य हित के सिद्धान्त की व्याख्या करने में तथा यह व्यक्त करने में कि बीमायोग्य हित कब विद्यमान रहने की आवश्यकता होती है;
- परम सद्भाव के महत्व की व्याख्या करने में;
- बीमाकर्त्ता एवं बीमित के प्रकटन के कर्तव्य को रेखांकित करने में;
- सारभूत तथ्यों के महत्व की व्याख्या करने में;
- उन तथ्यों का वर्णन करने में, जिनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।
- क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त तथा इसकी जीवन बीमा से संबद्धता की व्याख्या करने में।

परिचय

एक बीमा पॉलिसी बीमा कम्पनी तथा बीमित व्यक्ति के मध्य एक विधिक संविदा है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह एक वैध संविदा है कुछ शर्तों का अनुपालन आवश्यक है।

इस अध्याय में हम पढेंगे कि कुछ अद्वितीय सिद्धान्तो सहित जो केवल बीमा की संविदा पर ही लागू होते है एक वैध संविदा के आवश्यक लक्षण क्या है।

मुख्य पद			
इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :			
प्रस्ताव तथा स्वीकृति	प्रतिफल	मतैक्य	बीमायोग्य हित
प्रमुख व्यक्ति का बीमा	परम सद्भाव	प्रकटन दायित्व	सारभूत तथ्य
शुरू से ही	निर्विवादितता खण्ड	क्षतिपूर्ति	संविदा की सामर्थ्य
क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध	मूल्य निर्धारित अनुबन्ध		

अ. बीमा की एक वैध संविदा के आवश्यक तत्व

एक बीमा संविदा बीमा कम्पनी तथा बीमित व्यक्ति के मध्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार होता है; बीमित व्यक्ति बीमा कम्पनी को एक निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करने हेतु सहमत होता है तथा बीमा कम्पनी बीमित व्यक्ति के साथ एक विनिर्दिष्ट घटना के घटित हो जाने पर एक निर्धारित धन राशि के भुगतान हेतु सहमत होती है।दोनो पक्षकार किस प्रकार विधिक रूप से आबद्ध करार में सम्मिलित होते है तथा दोनो पक्षकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविदा वैध हो किन शर्तों को पूरा करना चाहिए ?

इन प्रश्नों का उतर देने के लिए , पहले हम एक वैध संविदा के आवश्यक लक्षणों पर दृष्टि डालेंगे, तथा फिर हम यह देखेगें कि बीमा संविदा अन्य संविदाओं से किस प्रकार भिन्न है।

अ 1 एक वैध संविदा के लक्षण

निम्नलिखित लक्षण आवश्यक होते है ,यदि एक संविदा को वैध होना हो:–

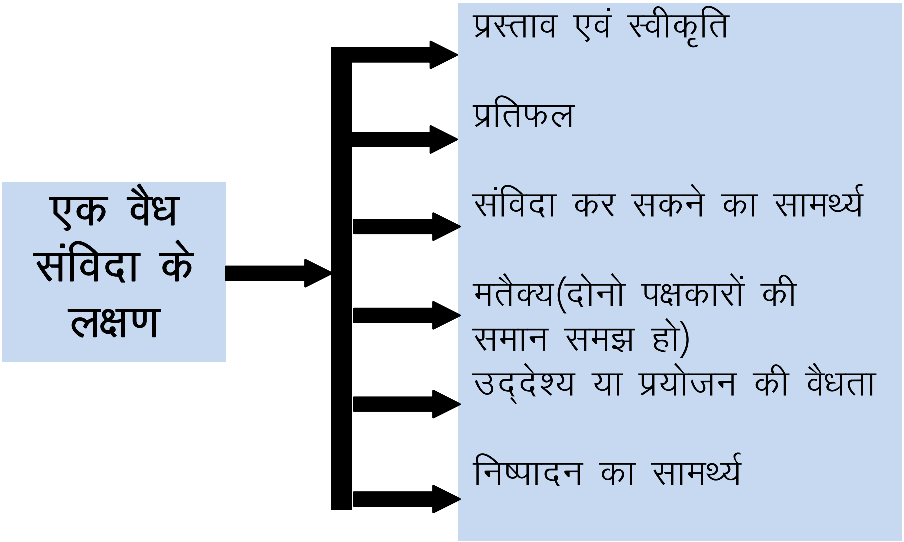

सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण प्रस्ताव एवं स्वीकृति तथा प्रतिफल है।

अ1अ प्रस्ताव एवं स्वीकृति

एक संविदा तब अस्तित्व में आती है जब एक पक्षकार एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है जिसे दूसरा पक्षकार बिना शर्त के स्वीकार कर लेता है। एक उदाहरण से यह समझना सरल होगा कि किस प्रकार एक बिना शर्त स्वीकृति कार्य करती है। चलो निम्नलिखित वार्तालाप पर विचार करेः–

उदाहरण

ए बी सी बीमा कम्पनीः आपके प्रस्ताव फार्म के आधार पर हम आपको XXXXXरू. बीमा धन का कवर देने का प्रस्ताव कर सकते है।
प्रस्तावक, गणेश (व्यक्ति जो बीमा लेना चाहता है)ः मुझे स्वीकार है।

इस उदाहरण में, गणेश ए बी सी के प्रस्ताव की किसी भी शर्त में परिवर्तन नहीं करता है अतः स्वीकृति बिना शर्त कही जायेगी। अन्य आवश्यक तत्वों की पूर्ति होने पर एक संविदा का निर्माण होता है।

अब गणेश के वैकल्पिक उत्तर पर विचार करें :–

उदाहरण

ए बी सी बीमा कम्पनीः आपके प्रस्ताव फार्म के आधार पर हम आपको XXXXXरू. बीमा धन का कवर देने का प्रस्ताव कर सकते है।
प्रस्तावक, गणेश (व्यक्ति जो बीमा लेना चाहता है)ः मुझे स्वीकार है,
लेकिन मैं बीमा राशि को YYYYY रू. तक बढाना चाहता हूँ।
इस मामले में, एक संविदा का निर्माण नहीं होता है क्योंकि गणेश ने प्रस्ताव को बिना शर्त के स्वीकार नहीं किया है। जब तक ए बी सी गणेश के प्रति प्रस्ताव की नई शर्त को स्वीकार नहीं करे, एक संविदा का निर्माण नहीं होता है।

अ 1 ब प्रतिफल

एक संविदा को वैध होने के लिए प्रतिफल सहित होना चाहिए। प्रतिफल सौदे के प्रत्येक व्यक्ति के पक्ष में वर्णित किया जा सकता है जो संविदा के पक्षकार है। संविदा विधि में प्रतिफल केवल कुछ दिया गया मूल्य होता है जो कि करार लागू होने हेतु प्रेरक का कार्य करता है। धन का भुगतान प्रतिफल का एक सामान्य रूप है; तथापि एकमात्र रूप नहीं। बीमा पॉलिसी के संदर्भ में; हम बीमित के प्रतिफल को प्रीमियम कह सकते है।

अ 1 स संविदा कर सकने का सामर्थ्य

संविदा करने वाले व्यक्ति ऐसा करने हेतु सक्षम होने चाहिए। एक व्यक्ति को संविदा करने के लिए सक्षम कहा जाता है जब वहः–

- वयस्कता की आयु (18 वर्ष आयु) का हो;
- स्वस्थ चित हो; तथा
- विधि द्वारा, संविदा कर सकने में अयोग्य नहीं हो।

इस प्रावधान के अनुसार अवयस्क (जो 18 वर्ष से कम आयु के हो) बीमा करार नहीं कर सकते है। साथ ही विधिक रूप से अस्वस्थ चित माने गये लोग तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित व्यक्ति एक बीमा करार नहीं कर सकते है। ऐसे लोगों द्वारा की गई कोई संविदा अमान्य तथा शून्य होगी।

अ1द मतैक्य

सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि संविदा के दोनों पक्षकार एक ही चीज को, समान अर्थ में समझकर सहमत होने चाहिए। प्रस्तावक को बीमा पॉलिसी के लक्षणों को उसी अर्थ(तरीके) में समझना चाहिए जिसमें वह अभिकर्ता द्वारा समझाई गई है।

अ1य उद्‌देश्य या प्रयोजन की वैधता

बीमा के दोनो पक्षकारों का उद्‌देश्य एक विधिक सम्बन्ध की रचना होना चाहिए। संविदा का प्रयोजन भी वैध होना चाहिए।

उदाहरण

एक पति के लिए यह अवैध होगा कि वह अपनी पत्नी का बीमा करवाकर उसकी हत्या कर दे तथा दावे का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक दुर्घटना से मृत्यु के मामले के रूप में प्रदर्शित करे जिसे वह विधिक लाभार्थी के रूप में प्राप्त करेगा। बीमा का उपयोग अवैध प्रयोजन या उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

अवैध कार्य का दूसरा उदाहरण है कि भारी ऋण में डूबा व्यक्ति एक बड़ी राशि का जीवन बीमा लेता है तथा फिर आत्महत्या करता है ताकि उसका परिवार दावा राशि से लाभ प्राप्त कर सके। आत्महत्या से मृत्यु दावा अधिकांश बीमा कम्पनियों द्वारा प्रथम वर्ष में अपवर्जित होता है।

अ1र निष्पादन का सामर्थ्य

संविदा के दोनो पक्षकारों में निष्पादन की क्षमता तथा योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी राशि के लिए जीवन बीमा करवाने की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आवश्यक प्रीमियम भुगतान करने के लिए समर्थ होना चाहिए।

करार एवं उसकी शर्ते निश्चित एवं निष्पादन योग्य तथा स्थानीय विधि के प्रावधानों का अनुपालन करने वाला होना चाहिए।

इस पर विचार करे

जिगर बीमा कम्पनी को 75 लाख रू. जीवन बीमा कवर के लिए 12,000 रू. प्रीमियम भुगतान के साथ प्रस्ताव करता है। मेडिकल जाँच के दौरान कम्पनी पाती है कि जिगर एक रोग से ग्रसित है तथा मानती है कि वह सामान्य से उच्च जोखिम प्रदर्शित कर रहा है। अतः बीमा कम्पनी उससे कहती है कि प्रभारित प्रीमियम 12,000 रू. के स्थान पर 15,000 रू. होगा।

उपरोक्त परिदृश्य को आप प्रस्ताव एवं स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार निपटायेगें?

प्रश्न 3.1

एक वैध संविदा के आवश्यक लक्षण क्या है?

अ 2 पॉलिसी प्रलेख

बीमित व्यक्ति एवं बीमा कम्पनी दोनों की आपस में सहमति की शर्तों के बारे में स्पष्ट होने पर, एक पॉलिसी जारी कर दी जाती है। पॉलिसी में सुरक्षा (कवर), कवर की अवधि , अपवाद, निर्बन्धन, प्रीमियम तथा अन्य सम्बन्धित सूचना का पूर्ण विवरण शामिल होता है। पॉलिसी अपने आप में एक बीमा संविदा नहीं है; अपितु; संविदा का साक्ष्य होती है।

एक बार बीमा कम्पनी द्वारा बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने, सहमति की शर्तों तथा प्रीमियम भुगतान करने या भुगतान करने हेतु सहमत होने के बाद बीमा की संविदा प्रभावी हो जाती है।
अतः एक वास्तविक रूप से पॉलिसी दस्तावेज जारी होने या न होने पर भी बीमा संविदा प्रभावी रहती है। पॉलिसी की अनुपस्थिति या हानि संविदा को अप्रमाणिक नहीं बनाती है लेकिन सहमत हुई शर्तों के बारे में कोई विवाद होने पर पॉलिसी एक साक्ष्य के रूप में उपयोगी होती है। हम इस अध्याय के भाग 2 में पॉलिसी की संरचना एवं अवयवों का परीक्षण करेंगे।

अ 3 बीमा संविदाओं में बीमा अभिकर्ताओं की भूमिकाः–

विधि की दृष्टि में, अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति एक अभिकर्ता होता है। यदि हम किसी को अपनी ओर से कार्य करने की अनुमति देते है तो सम्भवतः हमें निर्धारित व्यवस्था की सीमा तक हमारी ओर से उसके द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्य का उतरदायित्व स्वीकार करना होता है। यह बीमा में लागू होता है, तथा जब कभी किसी मध्यस्थ का समावेश होता है, विधिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

हमने अध्याय 1 में देखा है कि बीमा उद्योग में विभिन्न प्रकार के मध्यस्थ सम्मिलित होते है तथा शब्द ‘‘अभिकर्ता’’ एक बीमा कम्पनी द्वारा अपनी ओर से कम्पनी के उत्पादों के विक्रय के लिए प्रयुक्त लाइसेन्स धारी मध्यस्थ होता है। ऐसा करते समय मध्यस्थ विधिक अभिकर्ता बन जाता है तथा प्रधान(इस मामले में बीमा कम्पनी) की ओर से कार्य करने वाला माना जाता है। ये एक तृतीय पक्षकार (इस मामले में प्रस्तावक/ बीमा लेने की इच्छा वाला व्यक्ति) के साथ प्रधान को एक संविदा सम्बद्ध सम्बन्धों के लिए प्रधान द्वारा अधिकृत होते है।

ध्यान रहे!
हम अध्याय 1 से यह भी याद रखेंगे कि मिश्रित दलालों के नाम से जाने जाने वाले कुछ मध्यस्थ स्वतन्त्र सलाहकार होते है। उनकी विधिक प्रास्थिति जटिल होती है क्योंकि वे कुछ कार्य अपने ग्राहकों तथा कुछ कार्य बीमाकर्त्ता की ओर से करते है इसलिए उन्हें बीमित तथा बीमाकर्त्ता के अभिकर्ता (उनके द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्य की प्रकृति पर निर्भर) दोनों समझे जा सकते है।

ध्यान रहे!
बीमा संविदाएँ विशिष्ट संविदाएँ होती हैं तथा उपरोक्त वर्णित वैध संविदा के आवश्यक तत्वों के साथ ही अतिरिक्त सिद्धान्तों के विषयाधीन होती है।
हम निम्नखण्ड में इन अतिरिक्त सिद्धान्तों पर नजर डालेंगेः–

ब. बीमायोग्य हित

बीमायोग्य हित किसी वैध बीमा संविदा के प्रभावी होने के लिए एक आवश्यक तत्व होता है।

ब 1 बीमायोग्य हित क्या है?

निम्नलिखित प्रकरण अध्ययन बीमायोग्य हित का अर्थ समझने में आपकी मदद करेगा :

प्रकरण अध्ययन

एक 30 वर्षीय व्यक्ति गणेश एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी (एम एन सी) के लिए कार्य कर रहा है। गणेश की पत्नी एक घरेलू फर्म के लिए कार्य करती है तथा वह उसके गृह ऋण के लिए गणेश के साथ सह आवेदक है। जब तक गणेश के पास एक अच्छे वेतन की नौकरी है, वह मासिक जीवन व्ययों का प्रबन्ध करने के साथ–साथ बकाया गृह ऋण तथा कार ऋण का भी भुगतान कर सकता है। गणेश अपनी सम्पतियाँ बनाने के लिए कठिन परिश्रम करता है इसलिए सब कुछ गणेश की योजना के अनुसार चल रहा है। फिर भी निम्नलिखित परिदृश्यों की कल्पना करोः–

परिदृश्य 1:– गणेश की दुर्घटना हो जाती है तथा वह एक माह तक अस्पताल में भर्ती रहता है।

परिदृश्य 2:– गणेश की पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाती है।

चलो उपरोक्त परिदृश्य तथा संभावित हलों को करीब से देखते हैः–

परिदृश्य 1:– गणेश लगभग एक माह तक कार्य नहीं कर पाता है। उसे उस अवधि के लिए वेतन नहीं मिलेगा तथा उसे अस्पताल के बिलों का भी भुगतान करना होगा जिनकी लागत बहुत ज्यादा हो सकती है। इस परिस्थिति से बचने के लिए गणेश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास अप्रत्याशित मेडिकल आकस्मिकताओं के कवर के लिए, यदि वह मेडिकल कारणों से कार्य से अनुपस्थित रहता है पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा है।

परिदृश्य 2:– गणेश की पत्नी पारिवारिक आय में योगदान के अलावा परिवार की देखभाल भी करती है। उसकी अचानक मृत्यु के बाद गणेश गृह ऋण के पुनर्भुगतान तथा अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में वित्तीय कठिनाई का सामना करेगा। उपरोक्त परिदृश्य के विरूद्ध सुरक्षा के लिए गणेश अपनी पत्नी के जीवन पर जीवन बीमा ले सकता है जिससे उसकी पत्नी का अचानक मृत्यु होने पर भुगतान प्राप्त करेगा , इस प्रकार वह सुनिश्चित करता है कि परिवार की वित्तीय स्थिति खतरे में नहीं पड़ती है। गणेश की पत्नी भी गणेश के जीवन पर जीवन बीमा ले सकती है जो उसकी असामयिक मृत्यु पर भुगतान प्राप्त करेगी।

उपरोक्त परिदृश्यों से आप देखते है कि यदि दोनों में से कोई घटना घटित होती है,तो गणेश एवं उसके परिवार की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होगी यदि उसने बीमा नहीं लिया हो।

इस पर विचार करेः–

उपरोक्त परिदृश्य हमें बीमायोग्य हित को समझने में किस प्रकार सहायता करते है?

बीमायोग्य हित मौजूद कहा जाता है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति(यों) या सम्पति की उपलब्धता या निरन्तर मौजूदगी से लाभ या फायदा प्राप्त करता है तथा वित्तीय हानि या असुविधा से गुजरेगा यदि अन्य व्यक्ति(यों) या सम्पति को हानि होती है।

इस प्रकरण अध्ययन से हम देख सकते है कि गणेश अपने स्वयं के अच्छे स्वास्थ्य तथा अपनी पत्नी के जीवन में बीमा योग्य हित रखता है क्योंकि वह उनकी विद्यमानता से लाभ प्राप्त करता है तथा उनमें से किसी एक या दोनों को कोई क्षति होने पर उस पर वित्तीय रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा।

ब 2 बीमायोग्य हितों की सम्बद्धता

अब जबकि आप बीमा योग्य हित का अर्थ जानते है, आपको मनन करना चाहिए कि बीमा में बीमा योग्य हित का क्या महत्व या सम्बद्धता होती है? बीमायोग्य हित बीमा का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धान्त होता है। किसी प्रकार का बीमा लेने के लिए, एक व्यक्ति का उस विषय वस्तु में बीमायोग्य हित होना होता है जिसका वे बीमा करवाना चाहते है। विषयवस्तु कोई वस्तु या बीमित घटना होती है तथा एक व्यक्ति का स्वयं का जीवन, अन्य का जीवन या सम्पति हो सकती है। बीमा लिया जा सकता है या नहीं का निर्णय लेने का विधिक आधार बीमा योग्य हित है।

सारांश में– बीमा योग्य हित किसी व्यक्ति द्वारा उस विषयवस्तु का बीमा करवाने का विधिक अधिकार है जिससे उनका विधि सम्मत सम्बन्ध हो।

ब 3 परिस्थितियाँ जिनमें बीमा योग्य हित मौजूद रहता है।

न्यायालय के निर्णयों ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनमें बीमायोग्य हित मौजूद माना जाता है।

सामान्य विधि के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमायोग्य हित मौजूद माना जाता है:–

- स्वयं का जीवनः– एक व्यक्ति का अपने स्वयं के जीवन में असीमित बीमा योग्य हित होता है।

उदाहरण

गणेश अपने भावी कमाई के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि का एक जीवन बीमा ले सकता है। वैकल्पिक तौर पर, वह आंकलन करवा सकता है कि उसके न रहने पर उसके सभी दायित्वों जैसे गृह ऋण, कार ऋण, उसके परिवार के जीवन व्यय आदि की देखभाल के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी?

अन्य तरीका जिसे आवश्यक जीवन बीमा राशि की गणना के लिए उपयोग में लिया जा सकता है वार्षिक आय के एक गुणक; अर्थात्, वार्षिक आय का 15 गुणा या फिर वार्षिक आय का 20 गुणा भी उपयोग किया जाता है।

- **पति या पत्नी**– एक पति का अपनी पत्नी के जीवन में बीमायोग्य हित होता है, तथा उसी प्रकार ,एक पत्नि का अपने पति के जीवन में बीमायोग्य हित होता ह दोनों एक दूसरे की कुशलता से लाभ प्राप्त करते है तथा यदि उनमें से किसी एक के साथ कुछ भी अप्रिय घटित हो तो दूसरा बुरी तरह प्रभावित होता है। अतः एक पति अपनी पत्नी के लिए या विलोमतः एक दूसरे के लिए जीवन बीमा कवर ले सकता है।

- **बच्चेः**– अभिभावक अपने बच्चों के लिए बीमा ले सकते है जब तक बच्चे आश्रित होते है। बच्चे भी अपने अभिभावक के लिए बीमा ले सकते है जब अभिभावक उन पर आश्रित होते है। इसी प्रकार गणेश के बच्चे गणेश के लिए उसकी वृद्ध आयु में स्वास्थ्य बीमा ले सकते है जब वह अपने बच्चों पर आश्रित रह सकता हैं।
- **सम्पतियाँ**— एक व्यक्ति का अपने स्वामित्व वाली सम्पतियों में बीमायोग्य हित होता है क्योंकि वे उनके उपयोग से लाभान्वित होते है तथा वे बुरी तरह प्रभावित होते है यदि सम्पतियों को क्षति होती है।

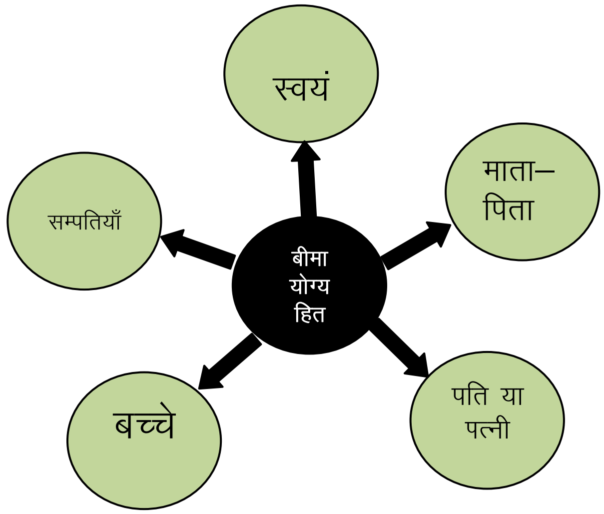

प्रश्न 3.2

कुछ व्यवहारिक परिस्थितियों को सूचीबद्ध करो जिनमें एक व्यक्ति के लिए बीमा योग्य हित मौजूद माना जाता है।

अन्य परिस्थितियाँ जिनमें बीमा योग्य हित मौजूद माना जाता है, में शामिल हैः–

- **लेनदार–** एक लेनदार का देनदार के जीवन में उस सीमा तक बीमा योग्य हित होता है जितना उसने देनदार को धन उधार दिया है।

उदाहरण

यदि गणेश ने कैलाश से 10,000 रू उधार लिये है, कैलाश उधार दी गई ऋण राशि उदाहरणतः 10,000 रू. की सीमा तक गणेश के जीवन में बीमा योग्य हित रखेगा।

ऐसा इसलिए होता है कि यदि गणेश के साथ कुछ अप्रिय घटित होता है तब कैलाश 10,000 रू. की राशि वापस नहीं पायेगा तथा उसे हानि होगी। अतः इस मामले में कैलाश गणेश के जीवन पर ऋण राशि 10,000 रू. तक का जीवन बीमा ले सकता है।

- **जमानतदार–** एक जमानतदार ऋण की सीमा तक मुख्य ऋणी के जीवन में तथा सहजमानतदार के जीवन में भी बीमायोग्य हित रखता है।

- **कर्मचारी–नियोक्ता :–** एक कर्मचारी अपने नियोक्ता के जीवन में अपने मासिक वेतन की सीमा तक बीमा योग्य हित रखता हैं।

- **नियोक्ता– कर्मचारी :–** नियोक्ता अपने सभी कर्मचारियों की कुशलता में उनकी सेवाओं के मूल्य की सीमा तक बीमायोग्य हित रखता है, उदाहरण के लिए यदि एक कर्मचारी

बीमार पड. जाता है तथा अपने कार्य से लम्बे समय तक अनुपस्थित रहता है तब उन परियोजनाओं के पूर्ण होने में बाधा उपस्थित हो सकती है जिन पर वे कार्य कर रहे है।

- **महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा–** एक कम्पनी का कुछ महत्वपूर्ण लोगों के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। कम्पनी ऐसे लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा ले सकती है।

- **सांझेदार–** एक व्यवसाय में सांझेदारों का एक दूसरे के जीवन में बीमा योग्य हित होता है।

ध्यान रहें!

जीवन बीमा में, पॉलिसी लेते समय अर्थात् पॉलिसी के आरम्भ में बीमा योग्य हित मौजूद(प्रमाणित) होना आवश्यक है। एक दावा प्रस्तुत होने के समय, बीमा योग्य हित मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी तथा इसे प्रमाणित करना भी आवश्यक नहीं होता हैं।

सामान्य बीमा के मामले में, पॉलिसी के प्रारम्भ के समय में तथा दावा उत्पन्न होते समय भी बीमायोग्य हित मौजूद होना चाहिए।

समुद्री बीमा के लिए विभिन्न नियम लागू होते है जहाँ केवल दावा उत्पन्न होते समय ही बीमा योग्य हित मौजूद होने की जरूरत होती हैं।

स परम सद्भाव

किसी बीमा की संविदा के वैध होने के लिए परम सद्भाव भी मौजूद होना चाहिए।

स 1 परम सद्भाव का महत्व

निम्न परिदृश्य परम सद्भाव के सिद्धान्त को समझने में आपकी मदद करेगाः–

परिदृश्य

राजेश ने 50 लाख रू. की एक अवधि बीमा पॉलिसी 20 वर्षों के लिए ले रखी है।
एक दिन कार्यालय से घर लौटने के दौरान, राजेश की एक सड.क दुर्घटना हो जाती है तथा दुखद मृत्यु हो जाती है।

राजेश की पत्नी कोमल (पॉलिसी में नामित के रूप में) बीमा कम्पनी पर दावा करती है। बीमा कम्पनी द्वारा बीमा दावा अस्वीकार करने पर कोमल को आश्चर्य होता है। जाहिर है कि कोमल बहुत उदास हो जाती है तथा दावा अस्वीकार करने के कारणो को पूछती है। बीमा कम्पनी को अपने अन्वेषण में पता चलता है कि राजेश ने कम प्रीमियम का लाभ उठाने के लिए अपने आयु प्रमाण प्रलेख के साथ हेराफेरी करके , अपनी आयु वास्तविक आयु से पॉच वर्ष कम घोषित की है। राजेश ने लाभदायक शर्तों पर बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए बीमा कम्पनी को जानबूझकर गुमराह किया है। इस कारण से बीमा कम्पनी ने पॉलिसी को अमान्य एवं शून्य घोषित किया है तथा राजेश की पत्नी द्वारा किया गया दावा अस्वीकार कर दिया है।

प्रस्तावक अपने बारे में सभी तथ्य जानता है तथा बीमा प्रस्ताव फॉर्म पूर्ण करते समय तथा उचित प्रलेख प्रस्तुत करते समय सभी सत्य सूचनाओं का प्रकट करना उसका नैतिक कर्तव्य है। एक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम मूल्य का निर्णय करने में एक व्यक्ति की आयु एक अत्यावश्यक मानक होता है जिसमें राजेश ने हेराफेरी की।

एक दृश्य उत्पाद की खरीद की बहुत सी संविदाओं में, प्रत्येक पक्षकार वस्तु का परीक्षण कर सकता हैं। बशर्ते एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को गुमराह नहीं करें तथा सत्यता से प्रश्नों के उतर दे, वहाँ दूसरे पक्षकार का संविदा से बचने का प्रश्न नहीं होता है।एक रेफ्रिजरेटर खरीदने के मामले में इसके भागों का परीक्षण किया जा सकता है तथा चालू करके यह जाँच की जाती है कि यह उचित रूप से कार्य करता हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय एवं विक्रय को विनियमित करने का सिद्धान्त ''केवियट एम्पटर'' या ''क्रेता सावधान रहे'' होता है।

लेकिन बीमा कम्पनी इस प्रकार कार्य नहीं कर सकती है हम पॉलिसी पढ सकते है लेकिन यह किस प्रकार कार्य करती हैं यह हम उसी समय जान पायेंगे जब दावा किया जाता है। इसमें छूने या देखने को कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार बीमा कम्पनी सूचनाओं के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तावक पर निर्भर रहती है जिसे वह जोखिम स्वीकार करने के निर्णय लेने में उपयोग करती है, तथा यदि वह स्वीकार करती है, तो किन शर्तों पर।

उपरोक्त परिदृश्य दर्शाता है कि सारभूत तथ्यों को आशयपूर्वक/जानबूझकर छुपाने की अनुमति नहीं है। इसलिए बीमा संविदाओं के लिए नियमों का एक अलग समुच्चय लागू होता है तथा उच्च स्तर का कर्तव्य आवश्यक है जो परम सद्भाव कहलाता है।

स 2 परम सद्भाव की परिभाषा

हम परम सद्भाव को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैः–

''यह प्रस्तावित जोखिम के बारे में सभी तथ्यात्मक सूचना को स्वेच्छा से , शुद्धतापूर्वक एवं पूर्णतः प्रकट करना, भले ही मांगी जाये या नहीं, का एक सकारात्मक कर्तव्य होता है।''

इसका अर्थ है कि संविदा के पक्षकारों को संविदा के लागू होने से पूर्व स्वेच्छापूर्वक तथ्यात्मक सूचना देनी चाहिए। यह सिद्धान्त संविदा समझौतों की सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रस्तावक एवं बीमाकर्त्ता दोनो पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन विधि प्रस्तावक को संविदा के सारभूततथ्यों के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में देखती है। हम खण्ड द में व्याख्या करेंगे कि सारभूत तथ्य क्या होते है।

परम सद्भाव का कर्तव्य भंग

उत्तम सद्विश्वास के कर्तव्य भंग को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

- **प्रकट नहीं करना (अप्रकटन) या एक सारभूत तथ्य को प्रकट करने में चूक करना, भले ही अनजाने में या इसलिए कि प्रस्तावक ने सोचा कि वह सारहीन था।**

उदाहरण के लिए, अजय कम्पनी ए बी सी को जीवन बीमा का आवेदन करते समय प्रकट नहीं करता है कि उसकी बचपन में सर्जरी की गई थी। उसने सोचा कि 15 वर्ष पूर्व, बचपन में की गई सर्जरी की यह सूचना बीमा कम्पनी को प्रकट करना सारहीन हैं, तथा वह बहुत समय पहले की इस सर्जरी घटना से पूरी तरह ठीक हो चुका है।

- **एक सारभूत तथ्य का छिपाना**

उदाहरण के लिए, अजय नियमित रूप से शराब का सेवन करता है। तथापि जीवन बीमा के लिए आवेदन से पूर्व वह एक माह तक शराब का सेवन नहीं करता है, वह सोच रहा था कि ऐसा करने पर मेडिकल जाँच के दौरान इसका पता नहीं लगेगा तथा वह अच्छी शर्तों पर बीमा प्राप्त कर सकेगा।

- **कपटपूर्ण गलत प्रदर्शन या बीमाकर्त्ता को धोखा देने के आशय से कहा गया कथन।**

उदाहरण के लिए, अजय अपनी आयु वास्तविक आयु से पाँच वर्ष कम घोषित करता है। इसके प्रमाण के लिए वह आयु प्रमाण अभिलेख के साथ जालसाजी करता है तथा अच्छी शर्तों पर बीमा पाने के लिए उन्हें बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करता है।

- **निष्कपट गलत प्रदर्शन या अशुद्ध कथन जिसका सत्य होने का विश्वास हो।**

स 3 प्रकटन /प्रकट करने का कर्तव्य

हम व्याख्या कर चुके है कि सभी बीमा समझौतों में स्पष्टतः सारभूत तथ्यों को प्रकट करने का कर्तव्य होता है; संविदा के अस्तित्व में आने से पूर्व प्रस्ताव अवस्था में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।

प्रकट करने का कर्तव्य प्रत्येक नवीनीकरण तिथि को पुनः लागू हो जाता है।

बीमित का प्रकट करने का कर्तव्य

यह महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावक संविदा से सम्बन्धित अब तक के सभी सारभूत तथ्यों को पूर्णतः प्रकट करें, क्योंकि अधिकांश मामलो में, विषय वस्तु की सभी परिस्थितियों का केवल प्रस्तावक को पता रहता है। बीमित को बीमा संविदा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान बीमाकर्त्ता के प्रति सद्विश्वास से कार्य करना चाहिए।

उदाहरणः–

- प्रस्तावक को अपने स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी तथ्य प्रकट करने चाहिए। यदि वे किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जो बीमाकर्त्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकती है, तो इसे प्रस्ताव के समय प्रकट कर देना चाहिए।
- प्रस्तावक को अपनी सही आयु की घोषणा करनी चाहिए तथा इसे आयु के उचित प्रमाण से समर्थित करना चाहिए।
- यदि प्रस्तावक तम्बाकू का धूम्रपान या शराब का सेवन करता है, तो इसे प्रस्ताव फॉर्म में उल्लेखित करना चाहिए।
- यदि प्रस्तावक का बीमा पूर्व में किसी कम्पनी द्वारा अस्वीकार किया गया है या प्रस्ताव सामान्य से उच्च प्रीमियम दर पर स्वीकार किया गया है तो कारणों सहित प्रस्ताव फॉर्म में उल्लेख करना चाहिए।

बीमाकर्त्ता का प्रकटन का कर्तव्य

बीमाकर्त्ता का भी बीमित के प्रति प्रकटन का कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए, बीमाकर्त्ता को भी परम सद्भाव का अनुपालन करना चाहिए।

उदाहरणः—

- बीमाकर्त्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने अपने बीमा उत्पाद से सम्बन्धित सभी सूचनाएँ अपने सभी विक्रय साहित्य जैसे पेम्फलेटों, विवरण—पुस्तिकाओं, वेबसाइट आदि पर प्रकट कर दी है।
- उदाहरणार्थ : बीमा कम्पनियाँ धूम्रपान नहीं करने वाले के लिए धूम्रपान करने वालों की तुलना में कम प्रीमियम प्रभारित करती है।
- स्वास्थ्य बीमा के मामले में, नवीनीकरण के समय कुछ कम्पनियाँ प्रीमियम पर छूट या प्रीमियम वही रखते हुए कवर में एक निश्चित प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव करती है, यदि बीमित द्वारा पूरे वर्ष में कोई दावा नहीं किया जाता है।

प्रस्तावित क्रिया

हमने उपरोक्त कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया है जहॉ बीमाकर्त्ता का प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति के प्रति प्रकटन का कर्तव्य होता है। कुछ अन्य स्थितियों पर विचार करें जहाँ बीमाकर्त्ता का बीमित के प्रति प्रकटन का कर्तव्य हो सकता है।

या

कुछ मामलों या उदाहरणों के लिए इंटरनेट पर सर्च करे जहाँ बीमित ने प्रकट करने के कर्तव्य का पालन नहीं किया तथा उनके दावे अप्रकटीकरण के आधार पर बीमाकर्त्ता द्वारा अस्वीकार कर दिये गये। ऐसे दावे के अस्वीकार करने के कारणों का अध्ययन करें।

द. सारभूत तथ्य

द 1 सारभूत तथ्यों का महत्व

सारभूत तथ्यों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते है कि वे ये तथ्य है जो
'' किसी विवेकशील बीमाकर्त्ता के प्रीमियम निर्धारित करने तथा यह निर्धारण करने कि उसमें कितना जोखिम होगाा के निर्णय को प्रभावित करेगा।''

उपरोक्त परिभाषा से हम देख सकते है कि सारभूत तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे बीमा कम्पनी के जोखिमांकक को दो प्रकार के निर्णय में मदद करते हैः—

- क्या जोखिम प्रस्ताव स्वीकार किया जाये या अस्वीकार; तथा
- यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो किस मूल्य (प्रिमियम) पर स्वीकार किया जायेगा।

यदि प्रस्तावक को सन्देह हो कि कोई विशेष तथ्य सारभूत है या नहीं तो उसे चाहिए कि वह तथ्यों का इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वह प्रस्ताव पत्र में विशेष रूप से पूछे गये है या नहीं, प्रकटन करें। ऐसा इसलिये क्योंकि प्रस्तावक को ही सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी रहती है अतः उसे उन तथ्यों को जोखिमांकन हेतु बीमाकर्त्ता को अवश्य प्रकट करना चाहिए।

ऐसे तथ्य स्पष्टतया सारभूत होते हैं जो अन्य तथ्यों की तुलना में सामान्य से अधिक जोखिम प्रस्तुत करते हैं या वे तथ्य भी जो जोखिम के अपवादस्वरूप हो, या जो बीमा कराने के कतिपय विशिष्ट उद्देश्यों की ओर इशारा करते हो।

द 2 प्रकटन नहीं करने के परिणाम

यदि बीमित व्यक्ति सारभूत तथ्यों के प्रकटन के दायित्व का उल्लंघन करता है तो बीमाकर्त्ता प्रारम्भ से ही संविदा को शून्यकारी मान सकता है अर्थात टाल सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते है कि कोई दावा देय नहीं होगा।

यदि अप्रकटन कपटपूर्ण (धोखा देने के उद्देश्य से) हो (जिसे प्रायः "गोपन" या "छिपाव" कहते है) तो बीमाकर्त्ता प्राप्त किये गये प्रीमियम को अपने पास रख सकता है। विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार किसी एक पक्षकार द्वारा अप्रकटन दूसरे पक्ष को संविदा को टालने हेतु उचित आधार प्रदान करता है जहाँ कोई तथ्य :—

- प्रथम पक्षकार(बीमित) की जानकारी में होता है;
- दूसरे पक्षकार(बीमाकर्त्ता) को पता नहीं होता है; या
- गणना करने पर यदि प्रकट होता है, दूसरे पक्षकार को संविदा को उन शर्तों पर लागू करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह उचित समझे या किसी भी प्रकार से संविदा में प्रवेश नहीं करने के लिए प्रेरित करता है।

द 3 निर्विवादितता खण्ड(धारा 45)

जैसा कि बीमा अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान है, पॉलिसी के प्रथम दो वर्षों में, यदि बीमा कम्पनी को पता चलता है कि कुछ सारभूत तथ्य प्रस्तावक द्वारा प्रकट नहीं किये गये है, तो वह (बीमाकर्ता) पॉलिसी को अमान्य तथा शून्य घोषित कर सकते है। बीमा कम्पनी सभी भुगतान किये गये प्रीमियम को भी रख सकती है। बीमा कम्पनी इस अधिकार को पॉलिसी प्रारम्भ होने से दो वर्षों तक ही लागू करा सकती है। दो वर्षों के पश्चात, यदि बीमा कम्पनी पॉलिसी को शून्यकारी बनाना चाहती हो तो उसे कपट सिद्ध करना होगा। यह खण्ड निर्विवादितता खण्ड के रूप में जाना जाता है तथा जीवन बीमा में लागू होता है।

द 4 जीवन बीमाः प्रकट करने का कर्त्तव्य

जीवन बीमा के मामलें में प्रकट करने का कर्त्तव्य, प्रस्ताव के समय से प्रारम्भ होकर बीमा कम्पनी द्वारा जोखिम स्वीकार करने तथा पॉलिसी कवर शुरू होने के समय तक रहता है।

ध्यान रहे!

एक व्यपगत पॉलिसी को पुनर्जीवित करने पर , बीमा कम्पनी बीमित को निरन्तर अच्छे स्वास्थ्य के प्रमाण के साथ—साथ सभी सारभूत तथ्यों को प्रकट करने को कह सकती है।व्यपगत पॉलिसी के बारे में अधिक विवरण इस अध्याय के भाग 2 में चर्चा की गई है।

उदाहरण

परिदृश्य 1:— अर्जुन 30 वर्ष की आयु में बीमा कम्पनी से आजीवन पॉलिसी लेता है। प्रस्ताव फॉर्म को पूर्ण करते समय अजय सभी सारभूत तथ्यों को प्रकट करता है। पाँच वर्ष बाद अर्जुन में मधुमेह

का पता चलता है। अब यदि अर्जुन इस तथ्य को बीमा कम्पनी को प्रकट नहीं करता है तो यह किसी भी तरह से उसके बीमा कवर को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि ऐसा पॉलिसी प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष पश्चात् घटित होता है। यदि अर्जुन की पॉलिसी व्यपगत हो जायें तथा वह पॉलिसी को पुनर्जीवित करवाता है तब, इसे पुनर्जीवित करवाते समय बीमा कम्पनी फिर से सभी सारभूत तथ्यों को प्रकट करने के लिए कह सकती है।

परिदृश्य 2:– 35 वर्ष की आयु में अर्जुन एक अन्य पॉलिसी (अवधि बीमा) लेना चाहता है और अब वह मधुमेह रोगी है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय, परम सद्भाव के सिद्धान्त के अनुसार, अर्जुन को प्रकट करना होगा कि वह मधुमेह से ग्रस्त है।
अर्जुन द्वारा किये गये प्रकटन के आधार पर, बीमा कम्पनी उसके प्रस्ताव का आंकलन करेगी, तथा जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकती है। यदि कम्पनी जोखिम को स्वीकार करने का निर्णय लेती है तो यह अर्जुन को इसके लिए प्रभारित किये जाने वाले प्रीमियम की सूचना देगी।
यदि अर्जुन प्रकट नहीं करता है कि वह मधुमेह से पीडि.त है तथा बीमा कम्पनी 6 माह बाद इस तथ्य के बारे में जान लेती है, तो वह इस पॉलिसी को अमान्य एवं शून्य घोषित कर सकती है तथा उस तिथि तक अर्जुन द्वारा भुगतान किये गये सभी प्रीमियम को रख (जब्त कर)सकती है।

य. क्षतिपूर्ति

क्षतिपूर्ति को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता हैः–
''बीमित को किसी हानि होने के पश्चात् उसी वित्तीय स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय मुआवजा देना, ताकि वे हानि होने से पूर्व की स्थिति में पहूँचनें के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करें।''

संक्षेप में, इसका अर्थ है कि कोई हानि होने पर बीमा कम्पनी पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अन्तर्गत बीमित को उसके द्वारा उठाई गई हानि के लिए क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देती है।

उदाहरण
सुरेश 2,00,000 रू. बीमा धन की एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेता है। सुरेश बीमार हो जाता है तथा अस्पताल में भर्ती किये जाने पर अस्पताल बिल का 40,000 रू. बनता है।अतः इस मामले में बीमा कम्पनी सुरेश को 40,000 रू. मुआवजा(क्षतिपूर्ति) देगी।

बीमा का उपयोग लाभ प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त यह सुनिश्चित करता है कि बीमित को केवल उस सीमा तक मुआवजा दिया जाये जितनी उन्हें हानि हुई है। अतः बीमित बीमा से अनुचित लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

उदाहरण
राजेश 1,00,000 रू. बीमा धन की एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेता हैं। राजेश के नियोक्ता ने भी उसे 1,00,000 रू. का स्वास्थ्य कवरप्रदान कर रखा है। राजेश बीमार हो जाता है तथा अस्पताल में भर्ती किये जाने पर अस्पताल का बिल 25,000 रू. बनता है। अतः इस मामले में राजेश दोनों बीमाकर्त्ताओं से 25,000 रू. का अलग अलग दावा प्राप्त नहीं कर सकता। अतः वह दोनो बीमाकर्ताओं से सम्मिलित रूप से कुल 25,000 का दावा प्राप्त करेगा । क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त सुनिश्चित करता है कि बीमा का उपयोग लाभ प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।

सारांश में : क्षतिपूर्ति यह सुनिश्चित करती है कि बीमा कम्पनी द्वारा दावे के निपटान के पश्चात् बीमित न तो अच्छी और न ही बुरी स्थिति में आ जाये। यह भी सुनिश्चित करती है कि न तो बीमित को बीमाकर्त्ता की लागत पर लाभ प्राप्त हो और न ही बीमाकर्त्ता को बीमित की लागत पर लाभ प्राप्त हो।

य 1 क्षतिपूर्ति तथा जीवन बीमा

सामान्य बीमा पॉलिसियाँ तथा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ क्षतिपूर्ति की संविदाएँ होती है जिसमें बीमित को उपरोक्त वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्यक्ष हुई हानि के लिए मुआवजा दिया जाता है।
लेकिन यह जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है।

उदाहरण

यदि अजय 10 वर्षों के लिए 1,00,000 रू. की बन्दोबस्ती पॉलिसी 10,000 रू. के वार्षिक प्रीमियम भुगतान पर लेता है तथा पॉलिसी के चौथे वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है, लाभार्थी सम्पूर्ण राशि 1,00,000 रू. (उस समय तक संचित बोनस सहित) प्राप्त करेगा, भले ही अजय ने केवल चार वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया है।

इसलिए जीवन बीमा संविदाएँ मूल्य निर्धारित संविदाएँ भी कही जाती है तथा क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त उन पर लागू नहीं होता है। जीवन बीमा के मामले में , भले ही एक व्यक्ति एक से अधिक पॉलिसियाँ लेता है, तो भी बीमित की मृत्यु होने पर सभी बीमा कम्पनियाँ सम्पूर्ण बीमा धन का भुगतान करेगी।

इसलिए याद रखे कि जीवन बीमा सम्बन्धित दावों के निपटान में क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त पर आधारित सांझें की अवधारणा लागू नहीं होती है।

उदाहरण

मनीष ए बी सी बीमा कम्पनी से 15,00,000 रू. की आजीवन बीमा पॉलिसी तथा एक्स वाई जेड बीमा कम्पनी से 10,00,000 रू. की बन्दोबस्ती पॉलिसी लेता है। पॉलिसी अवधि के भीतर उसकी मृत्यु होने पर दोनों बीमा कम्पनियाँ मनीष के नामित को भुगतान करेगी। अतः मनीष का नामित दो बीमा कम्पनियों से कुल 25,00,000 की बीमा राशि (15,00,000 रू.+ 10,00,000रू.) प्राप्त करेगा।

मुख्य बिन्दुः–
इस अध्याय में जिन मुख्य बिन्दुओं की चर्चा की गई है उन्हें निम्नानुसार सारांश रूप में व्यक्त किया जा सकता हैः–
बीमा की वैध संविदा के आवश्यक तत्व
• एक संविदा अस्तित्व में तब आती है जब एक पक्षकार प्रस्ताव करता है जिसे दूसरा पक्षकार बिना शर्त स्वीकार कर लेता है।
• एक बीमा संविदा में प्रस्तावक द्वारा बीमा कम्पनी को भुगतान किया गया प्रीमियम प्रतिफल होता है।
• अवयस्क, अस्वस्थ चित्त के माने गये व्यक्ति तथा विधि द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति बीमा संविदा नहीं कर सकते है।
बीमा योग्य हित
• बीमा योग्य हित किसी व्यक्ति का किसी विषय वस्तु का बीमा कराने का विधिक अधिकार होता है जो उसके स्वयं के, परिवार के सदस्यों के जीवन या उनकी सम्पतियाँ हो सकती है।
• जब एक व्यक्ति को बीमा योग्य हित होता है तो वह अन्य व्यक्ति या सम्पति से लाभ प्राप्त करता है तथा उनको हुई हानि से कुप्रभावित होता है या हानि उठाता है।
• अन्य स्थितियाँ जिनमें बीमा योग्य हित मौजूद माना जाता है, में लेनदार–देनदार, कर्मचारी नियोक्ता अथवा विलोम रूप में, सांझेदारों एक दूसरे के जीवन में तथा कम्पनियों– का उनके प्रधान अथवा प्रमुख व्यक्ति के जीवन में शामिल है।
परम सद्भाव
• एक बीमा संविदा में संविदा के दोनो पक्षकारों के एक दूसरें के प्रति सद्विश्वास में कार्य करना चाहिए।
• हम परम सद्भाव को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैः '' यह प्रस्तावित जोखिम के बारे में सभी तथ्यात्मक सूचना को स्वेच्छा से , शुद्धतापूर्वक एवं पूर्णतः प्रकट करना, भले ही मांगी जाये या नहीं, का एक सकारात्मक कर्तव्य होता है।''
• सभी बीमा समझौतों में अस्पष्ट सारभूत तथ्यों को प्रकट करने का कर्तव्य होता है; संविदा के अस्तित्व में आने से पूर्व प्रस्ताव प्रावस्था में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।
• बीमाकर्त्ता का भी बीमित के प्रति प्रकटन का कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए, बीमाकर्त्ता को भी परम सद्भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
सारभूत तथ्य
• सारभूत तथ्यों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते है कि यह वह तथ्य हैं जो– '' एक विवेकशील बीमाकर्त्ता के प्रीमियम निर्धारित करने तथा यह निर्धारण करने कि क्या उस जोखिम को स्वीकार किया जायें के निर्णय को प्रभावित करेंगे।''
• कुछ तथ्य, जैसे विधि संबंधी ज्ञान तथा सर्वविदित तथ्य को प्रकट करने की जरूरत नहीं होती है।
• यदि बीमित प्रकट करने के कर्त्तव्य का यथार्थ में उल्लंघन करता है, तो बीमाकर्त्ता संविदा को अमान्य तथा शून्य घोषित कर सकता है।
क्षतिपूर्ति

• ''क्षतिपूर्ति का आशय बीमित को उसी वित्तीय स्थिति में लाना है जो हानि होने से पूर्व थी।''
• क्षतिपूर्ति यह सुनिश्चित करती है कि बढा–चढाकर प्रस्तुत दावों के माध्यम से बीमित द्वारा बीमा का उपयोग लाभ पाने में नहीं किया जाए।
• क्षतिपूर्ति जीवन बीमा पर लागू नहीं होती है क्योंकि जीवन बीमा संविदाएँ मूल्य निर्धारित संविदाएँ होती है।

प्रश्न–उत्तर

3.1

एक वैध सविदा के आवश्यक लक्षण निम्न हैः–

प्रस्ताव एवं स्वीकृति
प्रतिफल
संविदा कर सकने का सामर्थ्य
मतैक्य
उद्देश्य या प्रयोजन की वैधता
निष्पादन का सामर्थ्य

3.2

वे परिस्थितियाँ जिनमें बीमा योग्य हित मौजूद माना जाता है जहाँ व्यक्ति रखता हैः–

- स्वयं के जीवन में असीमित हित;
- अपने पति या पत्नी के जीवन तथा विलोम मे हित;
- अपने बच्चों के जीवन तथा विलोम में हित; तथा
- अपनी सम्पतियों में हित

स्व–परीक्षण प्रश्न

1. परम सद्भाव को परिभाषित कीजिए तथा इसके अर्थ की व्याख्या कीजिए।
2. क्षतिपूर्ति क्या है?

आप उत्तर अगले पृष्ठ पर प्राप्त करेंगे।

स्व–परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1.

''यह प्रस्तावित जोखिम के बारे में सभी तथ्यात्मक सूचनाओं को स्वेच्छा से , शुद्धतापूर्वक एवं पूर्णतः प्रकट करना, भले ही मांगी जाये या नहीं, का एक सकारात्मक कर्तव्य होता है।''

इसका अर्थ है कि संविदा के पक्षकारों को संविदा के लागू होने से पूर्व स्वेच्छा से तथ्यात्मक सूचना देनी चाहिए। यह सिद्धान्त संविदा को तय करने /प्रभावी बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया समझौतों के दौरान प्रस्तावक एवं बीमाकर्त्ता दोनो पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन विधि द्वारा प्रस्तावक को संविदा के सारभूत तथ्यों के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा जाता है।

2.

क्षतिपूर्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता हैः–

''बीमित को कोई हानि होने के पश्चात् उसी वित्तीय स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय मुआवजा देना, ताकि वे हानि होने से पूर्व की स्थिति हेतु क्षतिपूर्ति प्राप्त करें।''

इसका अर्थ है कि एक हानि के होने पर बीमा कम्पनी पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अन्तर्गत बीमित को उनके द्वारा उठाई गई हानि के लिए क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देती है।